


**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017**

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, किसी व्यवहारी द्वारा,-

- (i) जिसने, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.12(28)एफडी/टैक्स/07-181 दिनांक 30.03.2007 (रजिस्ट्रीकृत टैण्ट व्यवहारियों के लिये प्रशमन स्कीम, 2007) के अधीन कर के बदले में एकमुश्त राशि के संदाय का विकल्प दिया है और जो उक्त अधिसूचना के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रशमन रकम, ब्याज या विलम्ब फीस का निक्षेप करने में असफल रहा है; या
- (ii) जिसने, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-164 दिनांक 15.03.2011 (रजिस्ट्रीकृत टैण्ट व्यवहारियों के लिये प्रशमन स्कीम, 2011) के अधीन कर के बदले में एकमुश्त राशि के संदाय का विकल्प दिया है और जो उक्त अधिसूचना के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रशमन रकम, ब्याज या विलम्ब फीस का निक्षेप करने में असफल रहा है; या
- (iii) जो, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.12(59)एफडी/टैक्स/2014-84 दिनांक 30.07.2014 के अधीन, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर, छूट फीस का निक्षेप करने में असफल रहा है;

संदेय कर के संदाय से इस शर्त पर इसके द्वारा छूट देती है कि ऐसा व्यवहारी दिनांक 31.05.2017 तक उक्त अधिसूचनाओं के अधीन विहित रीति में और समय के भीतर निक्षेप नहीं करायी गयी रकम पर उद्ग्रहणीय ब्याज की रकम के समतुल्य रकम के साथ उक्त अधिसूचनाओं के अधीन वर्णित माल के पण्यावर्त के प्रत्येक दो लाख रुपये या उसके भाग के लिए तीन हजार रुपये की दर पर छूट फीस का निक्षेप करेगा।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-84]
राज्यपाल के आदेश से,


शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017**


In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from payment of tax payable by any dealer,-

- (i) who has opted for payment of lump sum in lieu of tax under notification number F.12(28) FD/Tax/07-181 dated 30.03.2007 (Composition Scheme for Registered tent dealers, 2007), as amended from time to time and failed to deposit the composition amount, interest or late fee within the period specified under the said notification; or
- (ii) who has opted for payment of lump sum in lieu of tax under notification number F.12(25)FD/Tax/11-164 dated 15.03.2011 (Composition Scheme for Registered Tent Dealers, 2011), as amended from time to time and failed to deposit the composition amount, interest or late fee within the period specified under the said notification; or
- (iii) who has failed to deposit the exemption fee under notification number F.12(59) FD/Tax/2014-84 date 30.07.2014, as amended from time to time, within the period specified under the said notification;

on the condition that such dealer shall deposit the exemption fee at the rate of rupees three thousand for every rupees two lac or part thereof of the turnover of the goods mentioned in the said notifications along with an amount equal to the amount of interest leviable on the amount which has not been deposited in the manner and within the time prescribed under the said notifications upto 31.05.2017.

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-84]

By order of the Governor,


(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government